"सेफगार्डिंग अलाइअन्स" (सुरक्षा गठबंधन) परियोजना

प्रचार पत्रक और वीडियो का निर्माण

संवाददात्मक नाटक प्रशिक्षण और प्रदर्शन

सुरक्षा गठबंधन राजदूत प्रशिक्षण

सामुदायिक बूथ और आनंदमय दिन

उपरोक्त गतिविधियों और सेवाओं (अल्पसंख्यक जातियों और स्थानीय निवासियों सहित) में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का निम्न पर संपर्क करने के लिए स्वागत है:

G/F, 107 Ma Tau Chung Road, Kowloon City
HKSPC Child and Family Service Centre (Kowloon City)

2760 8111

मदद चाहिए?

यदि आपको पालन-पोषण शिक्षा, परिवार सहायता, या बाल संरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता हो, तो कृपया निम्नलिखित संगठनों से संपर्क करने में संकोच न करें।

बाल संरक्षणको लागि हङकङ समाज - बाल संरक्षण हटलाइन
2691 0188
समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन
2343 2255

HKSPC

Commission on Children

Child Protection Online Training

HKPF "Let's T.A.L.K. - Child Protection Campaign"

SWD Heart and Hut Facebook

12/2025 edition

Organized by

香港保護兒童會 hkspc

兒童及家庭服務中心（九龍城）
Children & Family Services Centre (Kowloon City)

बच्चों की सुरक्षा करें, इसकी शुरुआत आपसे और मुझसे होती है

बच्चों की सुरक्षा के लिए हांगकांग सोसायटी (हांगकांग सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) (HKSPC) को "सेफगार्डिंग अलाइअन्स" (सुरक्षा गठबंधन) परियोजना के लिए कमीशन ऑन चिल्ड्रन (CoC) से अनुदान प्राप्त हुआ है। इस परियोजना का उद्देश्य बाल संरक्षण को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक जातियों के बीच बाल शोषण अध्यादेश की अनिवार्य रिपोर्टिंग को लागू करना, एक सहायता नेटवर्क स्थापित करना है ताकि बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में खुशी से बड़े हो सकें।

Funded by

兒童事務委員會 Commission on Children

童行有你 WALK WITH KIDS

政府資助計劃 Government-funded programme

Funding Scheme for Children's Well-being and Development funded by the Commission on Children

Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material/event do not reflect the views of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region or the Commission on Children.

बाल शोषण अध्यादेश की अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है?

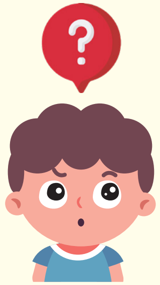

हांगकांग लॉ चैप्टर 650, बाल शोषण अध्यादेश ("अध्यादेश") की अनिवार्य रिपोर्टिंग, 20 जनवरी, 2026 को पूर्ण रूप से लागू होगी। इस अध्यादेश का उद्देश्य गंभीर बाल शोषण के मामलों की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना है, जिससे प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यापक और प्रभावी सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया जा सके।

किसे रिपोर्ट करना चाहिए?

अध्यादेश में यह अनिवार्य किया गया है कि सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 25 निर्दिष्ट श्रेणियों को सक्षम प्राधिकारी (समाज कल्याण विभाग (SWD) या हांगकांग पुलिस दल (HKPF)) को रिपोर्ट करना होगा, यदि उनके पास अपने काम के दौरान, यह संदेह करने का कारण है कि कोई बच्चा पीड़ित है या उसे गंभीर नुकसान होने का खतरा है।

पीड़ित बच्चे या उसे गंभीर नुकसान होने के जोखिम का क्या मतलब है?

अध्यादेश के मुताबिक:

1. कोई भी नुकसान जो किसी बच्चे के जीवन को खतरे में डालता है, या उनके शारीरिक स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, जैसे कि वस्तुओं से मारना, विषाक्तता या जलना।
2. कोई भी नुकसान जो बच्चे के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य या विकास को खतरे में डालता है, जैसे कि धमकी, मौखिक अपमान, या बार-बार ऐसा व्यवहार जो बच्चे की मानसिक या शारीरिक भलाई को नुकसान पहुंचाता है।
3. किसी बच्चे को निम्नलिखित कृत्यों में भाग लेने के लिए मजबूर करने या प्रेरित करने से होने वाला कोई भी नुकसान, जैसे कि यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तमैथुन करने के लिए प्रेरित करना, या अश्लील सामग्री का निर्माण करना।
4. बच्चे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही से होने वाला कोई भी नुकसान, जो बच्चे के जीवन या स्वास्थ्य को खतरे में डालता है।

निर्दिष्ट पेशेवर जो अध्यादेश का उल्लंघन करते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो रिपोर्ट बनाने से रोकता/बाधित करता है या रिपोर्टिंग निर्दिष्ट पेशेवर की पहचान का खुलासा करता है, उसे $50,000 का जुर्माना या $50,000 का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है।

इसलिए, बच्चों की सुरक्षा में समाज के सभी हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारी है। बाल शोषण को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम क्या कर सकते हैं?

खुद को समर्थ बनाएं

ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए बाल संरक्षण पर प्रासंगिक पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं में भाग लें।

मदद लें

जब आप तनाव महसूस करते हैं या अपने बच्चों की देखभाल करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो कृपया पेशेवरों से मदद लें

एक साथ मिलकर सुरक्षा करें

यदि आपको संदेह है कि आपके आस-पास के किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उसे नुकसान पहुँचाया जा रहा है, तो कृपया बहादुरी से सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट करें ताकि बच्चे को समय पर और उचित मदद मिल सके।